NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 25-07-2025

विषय सूची

» राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025
» राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025
» भारत-यू.के. व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता (CETA)
» जलवायु परिवर्तन पर ICJ का निर्णय
» लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण में 50% की कमी देखी गई: अध्ययन

संक्षिप्त समाचार

» चिकनगुनिया
» अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
» भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि
» विश्व खाद्य भारत 2025
» पर्यावरणीय प्रवाह (ई-प्रवाह)
» भारत द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त
» बांस की आग

राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025

संदर्भ

- सहकारिता मंत्रालय ने "राष्ट्रीय सहकारिता नीति – 2025" का अनावरण किया, जो भारत के सहकारी आंदोलन के इतिहास में एक परिवर्तनकारी क्षण का संकेत देता है।

परिचय

- भारत की प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में लागू की गई थी।
- 2025 की दूसरी सहकारिता नीति सहकारी समितियों को प्रतिस्पर्धी, समावेशी और भविष्य-उन्मुख बनाने की पुनः प्रतिज्ञा को दर्शाती है।
- **राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के स्तंभ**
  - नींव को मजबूत बनाना।
  - सक्रियता को प्रोत्साहित करना।
  - सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना।
  - समावेशिता को बढ़ाना और पहुंच का विस्तार करना।
  - नए क्षेत्रों में विस्तार करना।
  - युवा पीढ़ी को तैयार करना।
- **नीति के उद्देश्य**
  - 2034 तक सहकारी क्षेत्र का GDP में योगदान तीन गुना करना।
  - वर्तमान 8.3 लाख सहकारी समितियों की संख्या में 30% की वृद्धि।
  - 50 करोड़ नए या निष्क्रिय नागरिकों को सहकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी दिलाना।
  - प्रत्येक गाँव में कम से कम एक सहकारी इकाई की स्थापना और प्रत्येक तहसील में 5 मॉडल सहकारी गाँवों की स्थापना (NABARD द्वारा समर्थनित)।
  - प्रत्येक पंचायत में PACS या प्राथमिक सहकारी इकाइयों की स्थापना।

सहकारी समितियाँ क्या हैं?

- सहकारी समिति (या को-ऑप) एक ऐसा संगठन या व्यवसाय है जो समान हित, लक्ष्य या आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित और स्वामित्व में होता है।
- ये सदस्य समिति की गतिविधियों और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सामान्यतः "एक सदस्य, एक वोट" के सिद्धांत पर, भले ही प्रत्येक सदस्य कितना पूंजी या संसाधन योगदान दे।
- सहकारी समितियों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करना होता है, ना कि बाहरी शेयरधारकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना।

भारत की आर्थिक रीढ़ के रूप में सहकारी समितियाँ

- सहकारी समितियाँ छोटे किसानों, कारीगरों, मछुआरों, महिलाओं और श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाज़ी की शक्ति देती हैं।
- उदाहरण: अमूल ने लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों को सशक्त बनाया है, जिनमें से कई भूमिहीन या सीमांत किसान हैं।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना: भारत की 65% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सहकारी समितियाँ ऋण, इनपुट, विपणन और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करती हैं।
- PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ) ग्रामीण भारत में ऋण वितरण का प्रथम बिंदु हैं।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: सहकारी समितियाँ स्थानीय संसाधनों को एकत्रित कर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन हेतु उपयोग करके मध्यस्थों और बड़े निगमों पर निर्भरता को कम करती हैं।

97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011

- सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया (अनुच्छेद 19)।
- सहकारी समितियों के संवर्धन पर एक नया राज्य नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया (अनुच्छेद 43-B)।
- संविधान में "सहकारी समितियाँ" शीर्षक से नया भाग IX-B जोड़ा गया (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
- बहु-राज्य सहकारी समितियों के मामले में संसद और अन्य सहकारी समितियों के मामले में राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख कदम

- भारत के प्रथम राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' (TSU) की नींव, आनंद, गुजरात में रखी गई।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा गुजरात के चयनित गाँवों में मॉडल सहकारी गाँव (MCV) कार्यक्रम लागू किया गया।
- भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में हुई, जो सहकारी क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान देने के लिए थी।
- अनुसूचित सहकारी बैंकों को सशक्त बनाना, उन्हें वाणिज्यिक बैंकों के समान दर्जा देना।
- 'सहकार टैक्सी' का शुभारंभ, जिससे ड्राइवरों को लाभ-साझेदारी सुनिश्चित हो।
- तीन राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना – निर्यात संवर्धन, बीज उत्पादन और जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग व विपणन के लिए।
- महिला भागीदारी को ध्यान में रखते हुए 'श्वेत क्रांति 2.0' जैसी पहल।
- PACS का विस्तार जन औषधि केंद्रों, ईंधन वितरण, LPG डिलीवरी और ग्रामीण बुनियादी सेवाओं में करना।

निष्कर्ष

- राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 सहकारी समितियों को समावेशी और सतत विकास के इंजन के रूप में मुख्यधारा में लाने की दूरदर्शी पहल है।
- जैसे-जैसे भारत स्वतंत्रता के सौ वर्षों की ओर बढ़ रहा है (2047), एक सशक्त और पुनर्निर्मित सहकारी क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Source: PIB

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025

संदर्भ

- हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने लोकसभा में "राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025" प्रस्तुत किया।

विधेयक के पीछे का कारण

- **प्रशासनिक विफलताओं की विरासत**: भारत का खेल प्रशासन लंबे समय से खेल संहिता (2011) पर निर्भर रहा है, जो एक गैर-वैधानिक ढांचा है और कानूनी सुदृढ़ता की कमी है।
- यह विधेयक प्रशासन को कानूनी आधार देना चाहता है, न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना चाहता है और प्रशासनिक समरसता लाना चाहता है। इसकी अनुपस्थिति में:
  - न्यायालय खेल प्रशासन में बार-बार हस्तक्षेप करते हैं।
  - कई महासंघों के चुनाव और निर्णय लंबे समय तक न्यायालयों में उलझे रहे।
  - अनेक महासंघ वर्तमान में तदर्थ समितियों द्वारा संचालित हो रहे हैं।
- **अतीत से सीख**: यह विधेयक राष्ट्रीय खेल नीति 2007 का मसौदा और पिछले दशकों के राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों से प्रेरणा लेता है — जो कानून का रूप नहीं ले पाए।

विधेयक के प्रमुख उद्देश्य

- राष्ट्रीय खेल बोर्ड(NSB) की स्थापना ताकि वह राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) को विनियमित और मान्यता प्रदान कर सके।

- राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना, जिसमें सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ होंगी, ताकि खिलाड़ियों और महासंघों से संबंधित विवादों का समाधान हो।
- सभी खेल संगठनों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक प्रशासन सुनिश्चित करना।
- एथलीट-केंद्रित नीतियों को बढ़ावा देना, जिसमें निर्णय-प्रक्रिया में उनकी भागीदारी शामिल हो।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- **RTI अनुपालन**: सभी मान्यता प्राप्त खेल निकायों को, जिसमें BCCI भी शामिल है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि सार्वजनिक जवाबदेही बढ़े।
- **खिलाड़ियों की भागीदारी**: NSFs में कम से कम 10% मतदान सदस्य "उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी" होने चाहिए, और कार्यकारिणी समितियों में लिंग संतुलन अनिवार्य होगा।
- महासंघों की कार्यकारिणी में कम से कम 25% सदस्य पूर्व खिलाड़ी होने चाहिए।
- **सुरक्षित खेल नीति**: POSH अधिनियम, 2013 के अनुरूप, महिलाओं और नाबालिगों के लिए उत्पीड़न व शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- **कार्यकाल की सीमा**: महासंघों के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल पर सीमा लगाई जाएगी, ताकि सत्ता का केंद्रीकरण रोका जा सके।
- **चुनाव निगरानी**: राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की स्थापना की जाएगी ताकि महासंघों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सके।
- **खिलाड़ी अधिकार और विवाद समाधान**: बहु-स्तरीय विवाद समाधान प्रक्रिया का विधिक रूप दिया जाएगा — पहले, महासंघों के आंतरिक विवाद समाधान कक्ष; फिर, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण; और अंततः सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपील का मंच होगा
- यह मॉडल FIFA की विवाद समाधान चैंबर और खेल पंचाट न्यायालय(CAS) से प्रेरित है।

वैश्विक समन्वय और ओलंपिक आकांक्षाएँ

- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर जैसे अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों से प्रेरणा लेता है, और IOC व FIFA जैसे निकायों के इनपुट शामिल करता है।
- यह भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अन्य NSFs में अव्यवस्था, निगरानी की कमी और सुधार की आवश्यकता की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का जवाब है।
- 2036 ओलंपिक की मेज़बानी हेतु भारत की दावेदारी की दिशा में यह बिल एक तैयारी का कदम माना जा रहा है।

विधेयक से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ

- **आयु और कार्यकाल**: विधेयक प्रशासनिक अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष करता है और कार्यकाल संबंधी प्रतिबंध हटाता है — उद्देश्य यह है कि भारतीय अधिकारी अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों में वरिष्ठता प्राप्त करें और नेतृत्व की निरंतरता बनी रहे।
  - इससे सत्ता के केंद्रीकरण और संस्थागत नियंत्रण की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं — इसलिए सतर्क क्रियान्वयन आवश्यक है।
- **खेल निकायों की स्वायत्तता**: प्रस्तावित खेल नियामक बोर्ड से IOA और NSFs की स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है — जिससे IOC द्वारा सरकार के हस्तक्षेप का आरोप लगाकर भारत को निलंबित किया जा सकता है।
  - विधेयक राज्य ओलंपिक संघों की भूमिका स्पष्ट नहीं करता — जिससे विकेंद्रीकरण प्रयास कमजोर हो सकते हैं।
- **सरकारी अतिरेक**: विधेयक खेल विवादों के मामलों में निम्न न्यायालयों को प्रतिस्थापित करता है, और अपील का अंतिम मंच सर्वोच्च न्यायालय को बनाता है।

BCCI पर विधेयक के प्रभाव

- BCCI ने ऐतिहासिक रूप से सरकारी नियंत्रण से बाहर रहकर कार्य किया है।

- यह विधेयक इसे कानून के दायरे में लाने का प्रयास करता है, भले ही BCCI NSF नहीं है।
- इससे BCCI के वर्तमान नियमों में बदलाव आएगा — विशेष रूप से आयु और कार्यकाल से जुड़े प्रावधानों में।

Source: IE

भारत-यू.के. व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता (CETA)

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- यह विगत एक दशक में भारत का प्रथम बड़ा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है और यूरोपीय संघ (EU) से बाहर निकलने के बाद से यूके का चौथा प्रमुख समझौता है।
- भारत और यूके ने तीन वर्षों से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद इस व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया।
- **उद्देश्य:** भारत और यूके के बीच व्यापार को आसान और अधिक लाभकारी बनाना।
  - वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का संयुक्त लक्ष्य रखा गया है।
- यह समझौता दोनों देशों द्वारा अनुमोदन के बाद प्रभाव में आएगा।
  - भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है, जबकि इसे अभी यूके की संसद से स्वीकृति मिलनी बाकी है।

मुख्य विशेषताएं और लाभ

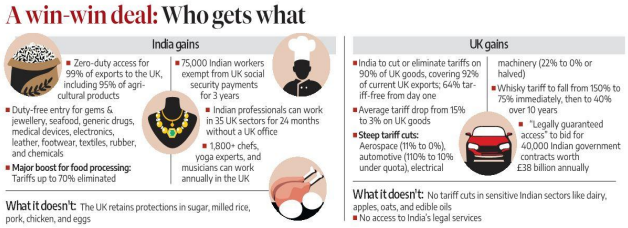

- **भारत के लिए:**
  - **99% भारतीय उत्पादों को यूके बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच:** यह विशेष रूप से वस्त्र, फुटवियर, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएं जैसी श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए बड़ा लाभ है, जिन्हें पहले 4% से 16% तक का शुल्क देना पड़ता था।
  - **भारतीय पेशेवरों के लिए आसान प्रवेश:** अब भारतीय शेफ, योग प्रशिक्षक और आईटी विशेषज्ञों को यूके में अस्थायी रूप से काम करने की सुनिश्चित अनुमति मिलेगी।
  - **सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट:** "डबल योगदान कन्वेंशन" के अंतर्गत , अस्थायी रूप से यूके में कार्यरत भारतीय कर्मचारी तीन वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट प्राप्त कर सकेंगे।
  - **उद्योग को बढ़ावा:** इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों के निर्यात में वृद्धि की संभावना।
  - **कृषि और मत्स्य क्षेत्र को लाभ:** कई कृषि और समुद्री उत्पादों को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जिससे प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी।
- **यूनाइटेड किंगडम के लिए:**
- **90% यूके उत्पादों पर भारत में शुल्क में कटौती:** इससे ब्रिटिश उत्पाद भारत में अधिक सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
- **ब्रिटिश व्हिस्की और जिन पर भारी शुल्क कटौती:** इन पर शुल्क 150% से घटकर तुरंत 75% और दस वर्षों में 40% तक हो जाएगा।
- **कुछ ब्रिटिश निर्मित कारों पर शुल्क में कटौती:** इससे यूके के ऑटोमोबाइल निर्माताओं को भारत में प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलेगा।
- **भारत सरकार की खरीद निविदाओं तक पहुंच:** यूके कंपनियां एक निश्चित राशि से अधिक की निविदाओं में भाग ले सकेंगी।
- **आर्थिक और पेशेवर सेवाओं को लाभ:** आईटी, वित्तीय और परामर्श सेवाओं में ब्रिटिश कंपनियों को अवसर मिलेगा।

यूके-भारत विजन 2035 रोडमैप

- **बढ़ती महत्वाकांक्षा:** रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर भारत और यूके ने सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है। यह नया विजन इस गति को बनाए रखते हुए सहयोग को और गहरा और विविध बनाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करता है।
- **रणनीतिक दृष्टिकोण:** यूके-भारत विजन 2035 सहयोग और नवाचार के लिए स्पष्ट लक्ष्य और माइलस्टोन तय करता है।

Source: IE

जलवायु परिवर्तन पर ICJ का निर्णय

संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक ऐतिहासिक परामर्शात्मक मत जारी किया है, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि देशों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की कानूनी जिम्मेदारी है।

पृष्ठभूमि

- 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से जलवायु परिवर्तन पर परामर्शात्मक राय मांगी थी। UNGA ने ICJ से दो विशिष्ट प्रश्नों पर परामर्श माँगा:
  - जलवायु प्रणाली की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत देशों की क्या उत्तरदायित्व हैं?
  - यदि कोई देश इन उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता है तो इसके कानूनी परिणाम क्या होंगे?

जलवायु परिवर्तन पर हालिया निर्णय के प्रमुख बिंदु

- न्यायालय ने तीन प्रमुख जलवायु संधियों — 1994 का UNFCCC, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, और 2015 का पेरिस समझौता — तथा अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनों की समीक्षा की।
- इनमें शामिल हैं: UNCLOS (समुद्री कानून), 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1992 की जैव विविधता पर संधि, और 1994 का मरुस्थलीकरण से लड़ने का समझौता।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि **जलवायु कार्रवाई कोई विकल्प नहीं, बल्कि कानूनी दायित्व है।**
- विशेष रूप से विकसित देशों को (UNFCCC की अनुक्रम-I सूची के अंतर्गत) तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करने का दायित्व है।
- अगर कोई देश अपनी उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करता है, तो यह एक "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य" माना जाएगा और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं — **जलवायु परिवर्तन से हुई हानि के लिए मुआवजा देना शामिल है।**
- अगर कोई देश निजी कंपनियों को ठीक से नियंत्रित नहीं करता है, तो उन कंपनियों के कार्यों के लिए उस देश को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में

- ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसका कार्य शुरू हुआ।
- इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) के पीस पैलेस में स्थित है।
- इसका कार्य राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाना और UN एजेंसियों द्वारा भेजे गए कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देना है।
- इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
- यह एक रजिस्ट्री की सहायता से कार्य करता है और इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेज़ी और फ्रेंच हैं।

महत्व

- यह निर्णय विशेष रूप से उन विकसित देशों की जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया।
- यह "हानि और क्षति" के सिद्धांत को समर्थन देता है — अर्थात् जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को पूर्ण क्षतिपूर्ति का अधिकार है। इससे समृद्ध देशों और प्रदूषण करने वाली कंपनियों के विरुद्ध मुकदमों का मार्ग प्रशस्त सकता है।

Source: IE

लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण में 50% की कमी देखी गई: अध्ययन

संदर्भ

- एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि लक्षद्वीप द्वीपसमूह में प्रवाल (कोरल) 1998 की तुलना में आधे रह गए हैं।
- विगत 24 वर्षों में, प्रवाल आवरण 37.24% से घटकर 19.6% हो गया — अर्थात 1998 की स्थिति की तुलना में लगभग 50% की कमी।

प्रवाल क्या हैं?

- प्रवाल अकशेरुकी जीव हैं जो निडारिया(**Cnidaria**) नामक जीवों के बड़े समूह में आते हैं।
  - ये कई छोटे, कोमल जीवों के समूह होते हैं जिन्हें **पॉलीप्स** कहा जाता है।
  - ये अपनी सुरक्षा के लिए चॉक जैसी कठोर (कैल्शियम कार्बोनेट) की बाहरी परत बनाते हैं।
  - **प्रवाल भित्तियाँ** (Coral Reefs) करोड़ों पॉलीप्स द्वारा बनाई गई विशाल कैल्शियम संरचनाएं होती हैं।
- **रूप-रंग:** प्रवाल लाल, बैंगनी और नीले रंगों में पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः भूरे और हरे रंग के होते हैं।
  - इनका रंग-रूप ज़ूक्सैन्थेला(**zooxanthellae**) नामक सूक्ष्म शैवाल (algae) के कारण चमकीला और रंगीन होता है।
- **प्रवाल भित्तियों के प्रकार**
  - **फ्रिंजिंग रीफ्स** – जो तटरेखा के साथ बनते हैं।
  - **बैरियर रीफ्स** – जो खुले समुद्र में बनते हैं।
  - **प्रवाल द्वीप** – जो डूबे हुए ज्वालामुखियों के चारों ओर वृत्ताकार बनते हैं।
- **भारत में प्रवाल भित्तियाँ**
  - कच्छ की खाड़ी
  - मन्नार की खाड़ी
  - अंडमान और निकोबार द्वीप
  - लक्षद्वीप द्वीप
  - मालवन क्षेत्र
- **महत्व**
  - प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जीवन का चौथाई हिस्सा को भोजन, आश्रय, विश्राम और प्रजनन स्थान प्रदान करती हैं।
  - ये जैव विविधता की रक्षा के लिए पालना और शरणस्थल का कार्य करती हैं।
  - विश्व भर के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 1 अरब से अधिक लोगों के लिए ये भोजन, रोजगार और मनोरंजन का स्रोत हैं।

प्रवाल विरंजन (Bleaching) के कारण

- **समुद्री हीट वेव और जलवायु परिवर्तन**: समुद्री सतह के बढ़ते तापमान से प्रवाल और शैवाल का सहजीवी संबंध टूट जाता है, जिससे व्यापक विरंजन और मृत्यु होती है।
- **महासागर अम्लीकरण**: CO_2 के अधिक घुलने से जल का pH कम होता है और प्रवाल को अपनी कठोर संरचना बनाना मुश्किल हो जाता है।
- **प्रदूषण**: भूमि से आने वाला अपवाह — जिसमें उर्वरक, कीटनाशक और सीसा जैसे भारी धातुएँ होती हैं — प्रवाल की सेहत को हानि पहुंचाता है।
- **भौतिक व्यवधान**: तटीय निर्माण, अव्यवस्थित मछली पकड़ना, तलछटीकरण, और प्रवाल खनन से भित्तियाँ क्षतिग्रस्त या दब जाती हैं।
- **अत्यधिक मछली पकड़ना**: प्रवाल पर शैवाल की वृद्धि को नियंत्रित करने वाली मछलियाँ कम हो जाती हैं, जिससे पर्यावरण और बिगड़ता है।

क्या प्रवाल विरंजन से उबर सकते हैं?

- हाँ, यदि तापमान घटे और परिस्थितियाँ सामान्य हों जाएँ, तो प्रवाल समय के साथ उबर सकते हैं। ऐसे में शैवाल वापस लौटती हैं और प्रवाल धीरे-धीरे स्वस्थ हो जाते हैं

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

चिकनगुनिया

समाचार में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने संभावित वैश्विक चिकनगुनिया महामारी के बारे में चेतावनी जारी की है, जिसमें 2004-2005 के एक बड़े प्रकोप से इसकी भयावह समानताएँ बताई गई हैं और शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया गया है।

चिकनगुनिया

- चिकनगुनिया एक मच्छर जनित विषाणुजनित रोग है जो चिकनगुनिया विषाणु (CHIKV) के कारण होता है, जो अल्फावायरस वंश का एक आरएनए विषाणु है।
- **लक्षण:** इससे बुखार और जोड़ों में तेज़ दर्द होता है, जो प्रायः दुर्बल कर देने वाला होता है। कुछ मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है।
  - चिकनगुनिया के लक्षण डेंगू बुखार और जीका वायरस रोग जैसे ही होते हैं, जिससे इसका निदान मुश्किल हो जाता है।
  - यह संक्रमित मादा मच्छरों, सामान्यतः एडीज़ एजिप्टी और एडीज़ एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
  - एडीज़ एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के गर्म होने के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ रहा है।
- **प्रकोप:** सीएचआईकेवी की पहचान सर्वप्रथम 1952 में तंजानिया गणराज्य में और उसके बाद अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में हुई थी।
  - 2025 तक, रीयूनियन, मायोट और मॉरीशस में बड़े प्रकोप देखे गए हैं, और यह वायरस मेडागास्कर, सोमालिया, केन्या और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया है। यूरोप में भी आयातित मामले सामने आए हैं, जिनमें फ्रांस में स्थानीय संक्रमण और इटली में संदिग्ध मामले शामिल हैं।
- **उपचार:** लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है।

Source :TH

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

सन्दर्भ

- मद्रास उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत संज्ञेय अपराधों के मामलों में बिना प्रारंभिक जाँच किए तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के पुलिस के कानूनी दायित्व की पुनः पुष्टि की है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में

- **उद्देश्य:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों और घृणा अपराधों को रोकना।
- **क्षेत्र:** जाति-आधारित दुर्व्यवहार से लेकर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार और हिंसा तक के अपराधों को शामिल करता है।
- **विशेष प्रावधान:**
  - शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन।
  - पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास।
  - कुछ मामलों में अग्रिम ज़मानत नहीं।

फैसले में उद्धृत प्रमुख कानूनी प्रावधान

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में 2018 में धारा 18ए(1)(ए) को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का नियम 7(1): इसके अनुसार, केवल पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी ही इस अधिनियम के तहत मामलों की जाँच करने के लिए अधिकृत हैं।

Source: TH

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि

समाचार में

- मध्य पूर्व पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की परिचर्चा में भारत ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई का आह्वान किया तथा क्षतिग्रस्त अस्पतालों, खाद्यान्न की कमी और बाधित शिक्षा के कारण उत्पन्न गंभीर मानवीय संकट पर प्रकाश डाला।

परिचय

- इज़राइलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच संघर्ष जटिल और दीर्घकालिक है।
  - इज़राइली (वे लोग जो ज़्यादातर इज़राइल में रहते हैं) और फ़िलिस्तीनी (वे लोग जो ज़्यादातर गाज़ा पट्टी और पश्चिमी तट के नाम से जाने जाने वाले एक अन्य क्षेत्र में रहते हैं)।
- गाज़ा पट्टी, भूमध्य सागर के पूर्वी बेसिन में, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्व में भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है—जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है।
  - यह दक्षिण-पश्चिम में मिस्र, पश्चिम में भूमध्य सागर और उत्तर व पूर्व में इज़राइल से घिरा हुआ है।
  - यहाँ की जनसंख्या मुख्यतः सुन्नी मुस्लिम है, जिसमें ईसाई अल्पसंख्यक हैं।
- पश्चिमी तट, फ़िलिस्तीन के पूर्व ब्रिटिश शासित क्षेत्र का हिस्सा था।
  - यह जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है, जिसके पूर्व में जॉर्डन और मृत सागर और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में इज़राइल है।
- 1948 में फ़िलिस्तीन का अधिकांश भाग इज़राइल देश का हिस्सा बन गया।
  - तब से, इस क्षेत्र में फ़िलिस्तीनी अरबों, जो ज़्यादातर मुसलमान हैं, और इज़राइलियों, जो अधिकांशतः यहूदी हैं, के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है।

फिलिस्तीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- भारत संतुलित संबंध बनाए रखता है—उसने इज़राइल के साथ अपने संबंधों को गहरा किया है, लेकिन फ़िलिस्तीन के साथ अपनी कूटनीतिक और विकासात्मक भागीदारी जारी रखी है।
- भारत ने फ़िलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपने "अटूट" समर्थन को दोहराया और इस बात पर बल दिया कि बातचीत और कूटनीति ही समाधान हैं।
- भारत एक द्वि-राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ फ़िलिस्तीनी लोग इज़राइल की सुरक्षा आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखते हुए, सुरक्षित सीमाओं के अंदर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें।

Source :TH

विश्व खाद्य भारत 2025

समाचार में

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है।
  - इस चार दिवसीय कार्यक्रम का विषय है "समृद्धि के लिए प्रसंस्करण"।

विश्व खाद्य भारत

- इसे भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को प्रदर्शित करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था।
- यह विश्व भर के हितधारकों के लिए भारत के गतिशील खाद्य प्रसंस्करण परिदृश्य में जुड़ने, सहयोग करने और अवसरों का पता लगाने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है।
- वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्देश्य भारत को खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का संक्षिप्त अवलोकन

- यह मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत एक प्राथमिकता है, जहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए योजनाएँ लागू कर रहा है।

- कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में आवश्यक उपयोगिताओं और सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं वाले मेगा फ़ूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जो उद्यमियों के लिए एक प्लग-एंड-प्ले मॉडल प्रदान करते हैं।

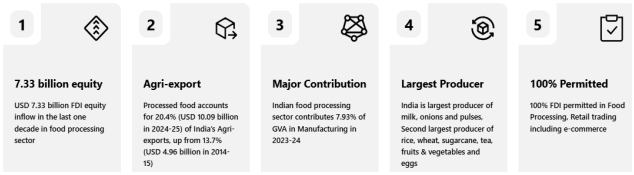

Source :Air

पर्यावरणीय प्रवाह (ई-प्रवाह)

सन्दर्भ

- जल शक्ति मंत्री ने नई दिल्ली में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) पर केंद्रित एक व्यापक बैठक आयोजित की।

पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) के बारे में

- **परिभाषा:** नदी के प्रवाह पैटर्न में कोई भी प्रबंधित परिवर्तन जिसका उद्देश्य नदी के स्वास्थ्य को बनाए रखना या सुधारना है। इसमें प्रवाह की मात्रा और मौसमी पैटर्न दोनों शामिल हैं।
- **घटक:** इसमें न केवल प्रवाह की मात्रा, बल्कि प्रवाह का समय और गुणवत्ता भी शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रायः प्राकृतिक व्यवस्थाओं का अनुकरण करना होता है।
- **उद्देश्य:** मछली, वन्यजीव और वनस्पति प्रजातियों को जीवित रखने, जल की गुणवत्ता बनाए रखने, नदी के मुहाने की उत्पादकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मनोरंजक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Source: AIR

भारत द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त

पाठ्यक्रम: GS3/ ऊर्जा

सन्दर्भ

- भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो 2030 के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य से पांच वर्ष पहले है।

परिचय

- पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 2014 में मात्र 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है - जो 11 वर्षों में लगभग तेरह गुना वृद्धि है।
- इथेनॉल उत्पादन 2014 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर जून 2025 तक 661.1 करोड़ लीटर हो गया है।
- भारत ने आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करके लगभग ₹1.36 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

इथेनॉल मिश्रण

- सरकार द्वारा 2018 में अधिसूचित 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति' में 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- 2014 से सरकार द्वारा किए गए उत्साहजनक प्रदर्शन और विभिन्न हस्तक्षेपों को देखते हुए, 20% लक्ष्य को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था।

इथेनॉल क्या है?

- इथेनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाया जा सकता है।
- अल्कोहल उत्पादन में खमीर का उपयोग करके चीनी का किण्वन शामिल है। गन्ने के रस या गुड़ में, चीनी सुक्रोज के रूप में मौजूद होती है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में विखंडित हो जाती है।
- अनाज में स्टार्च भी होता है, एक कार्बोहाइड्रेट जिसे पहले निकालकर सुक्रोज और सरल शर्करा में परिवर्तित किया जाता है, फिर आगे किण्वन, आसवन और निर्जलीकरण द्वारा इथेनॉल बनाया जाता है।

Source: AIR

बांस की आग

समाचार में

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर भारत में तेजी से बढ़ने वाली बांस की प्रजाति 'बंबूसा टुल्डा' से बना एक पर्यावरण अनुकूल मिश्रित पदार्थ विकसित किया है, जिसे बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर के साथ मिलाया गया है।

बाम्बुसा टुल्डा के बारे में

- इसे सामान्यतः बंगाल बांस, भारतीय इमारती लकड़ी बांस या बिना रीढ़ वाला भारतीय बांस कहा जाता है।
- यह एक तेज़ी से बढ़ने वाला, मध्यम से बड़े आकार का, उष्णकटिबंधीय गुच्छेदार बांस है जो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया (इंडोचीन, तिब्बत, युन्नान) का मूल निवासी है।
- यह मोनोकार्पिक (एक बार फूल आने के बाद मुरझाने वाला) है और इसके फूलों के बीच का अंतराल सामान्यतः 15-60 वर्षों का होता है।
- यह अपनी तन्य शक्ति के लिए अत्यधिक मूल्यवान है और इसका व्यापक रूप से कागज़ के गूदे उद्योग, निर्माण, बाड़ लगाने और विभिन्न औज़ारों में उपयोग किया जाता है।

Source: TOI

■■■■

NEXT IAS